

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 05/2021 (2021/11)

अपीलार्थीपक्ष

1. तेजाराम पुत्र दुर्गाराम
 2. धापूदेवी पत्नि भताराम
 3. अशोक कुमार पुत्र भताराम
 4. जगदीश कुमार पुत्र भताराम
 5. छैलूदेवी पुत्री भताराम (अपीलांटस् संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता धापूदेवी पत्नि भताराम)
 6. चेतनराम पुत्र सैणाराम
 7. ताराराम पुत्र सैणाराम
- सभी जातियान् मेघवाल निवासीगण ग्राम सियांदा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

1. हेमाराम पुत्र राणाराम
 2. हरकू पत्नि राणाराम
 3. पोकरराम पुत्र मेगाराम के कायम मुकाम
 - 3/1. रमेश पुत्र स्व. पोकरराम
 - 3/2. सुशीला पुत्री स्व. पोकरराम
 - 3/3. विमला पत्नी स्व. पोकरराम
 - 3/4. जगदीश पुत्र स्व. पोकरराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. पोकरराम)
 - 3/5. मुन्नीदेवी पुत्री स्व. पोकरराम (नाबालिग जरिए कुदरती वली माता श्रीमति विमला पत्नी स्व. पोकरराम)
 4. आदूराम पुत्र मेगाराम
- सभी जातियान् मेघवाल निवासीगण ग्राम- सियांदा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 03.11.2020 को क्रमांक/भू0अ0/2020/62 में किए गए बंटवाडा आदेश के विरुद्ध।

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सौलकी (अपीलार्थीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी (रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 4)

—: आदेश :- दिनांक :- 20.10.2021

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 03.11.2020 आदेश



क्रमांक/भू0अ0/2020/62 पारित किया गया, के विरुद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम सियांदा पटवार हल्का सियांदा भू-अभिलेख निरीक्षक खिरंजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खसरा संख्या 215 रकबा 55.04 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 273 रकबा 41.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल रकबा 112.08 बीघा आई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शेरगढ ने सभी सहखातेदारान् को मिले गए हिस्से एवं किए गए बंटवाड़े/विभाजन अनुसार मौके एवं भूमि की किस्म की ओर ध्यान दिए बिना ही तथा सड़क की तरफ स्थित भूमि जो कीमती है, उसका नियमानुसार विभाजन किये बिना तथा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई एवं न ही सहखातेदारान् के आपस में आने-जाने के लिये उनकी ढाणियाँ एवं अपने हिस्से में आई भूमि में जाने के लिए रास्ते का ध्यान नहीं रखा गया तथा जो प्रस्तावित नक्शा सलंगन किया गया उसके विपरीत बंटवाड़ा/विभाजन का आदेश पारित कर दिया, जो बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़े की श्रेणी में नहीं आता है, इस कारण उक्त बंटवाड़े को निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट्स अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। तहसीलदार शेरगढ को मूल रेकर्ड के लिये लिखा गया। तहसीलदार शेरगढ से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 05.10.2021 को सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि अपीलान्ट्स व रेस्पों की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम सियांदा पटवार हल्का सियांदा भू-अभिलेख निरीक्षक खिरंजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर के खसरा संख्या 215 रकबा 55.04 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 15.14 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 बीघा गै.मु. ढाणी, खसरा संख्या 273 रकबा 41.03 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल रकबा 112.08 बीघा आई हुई है, जिसका तहसीलदार शेरगढ द्वारा बंटवाड़ा निम्न अनुसार किया गया है:-

1. हेमाराम पुत्र राणाराम, हरकू पत्नी राणाराम जाति मेघवाल का हिस्सा खसरा संख्या 215 रकबा 13.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250 रकबा 3.18 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 273 रकबा 10.08 किस्म बारानी तृतीय है।

2. पोकरराम, आदूराम पिता मेगाराम का हिस्सा खसरा संख्या 215/1 रकबा 13.16 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/1 रकबा 3.18 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 273/1 रकबा 10.08 किस्म बारानी तृतीय है।
3. तेजाराम पिता दुर्गाराम का हिस्सा खसरा संख्या 215/2 का रकबा 13.16 किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/2 रकबा 3.19 किस्म बारानी तृतीय, 273/2 रकबा 10.07 किस्म बारानी तृतीय है।
4. धापूदेवी पत्नि भताराम, अशोक कुमार, जगदीश कुमार पि. भताराम, छेलूदेवी पुत्री भताराम, चेतनराम, ताराराम पि. सैणाराम के हिस्से खसरा संख्या 215/3 रकबा 13.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 250/3 रकबा 3.19 बिघा किस्म बारानी तृतीय, खसरा संख्या 272 रकबा 0.07 गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 273/3 रकबा 10.00 बीघा किस्म बारानी तृतीय है। उपरोक्त अनुसार बंटवाडा किया गया इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार शेरगढ द्वारा विधि एवं नियमानुसार नही करके सभी सहखातेदारान् के हिस्से में आई भूमि के विभाजन में सडक की तरफ किसी खातेदार को अधिक भूमि दी गई, किसी को कम दी गई ऐसा करने का हक तहसीलदार को नही था तथा उक्त बंटवाडा में गलत तरीको से सहखातेदार अपीलांटस् तेजाराम पुत्र दुर्गाराम, धापूदेवी पत्नि भताराम, चेतनराम, ताराराम पुत्र सेणाराम के हिस्से में खराब जमीन दी गई तथा रेस्पोंडेन्ट पोकरराम पुत्र मेगाराम के अकेले को मुख्य सडक के पास दी गई जो नियमो के विपरीत है एवं बंटवाडा मौके तथा कब्जे काश्त अनुसार नही किया गया एवं बंटवाडा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर न करके सडके के समान्तर पूर्व से पश्चिम किया गया अर्थात् खडा/सीधे तौर पर नही किया गया एवं नियम 18 से 21 की पालना नही की गई संपूर्ण प्रक्रिया विधि विरुद्ध की गई एवं इस बंटवाडे में सभी सहखातेदारान् के हस्ताक्षर ही नही है और ना ही सहमत थे, बंटवाडा के समय नक्शे में अलग-अलग कलर/रंग नही दर्शाकर हल्का पटवारी द्वारा बाद में रेस्पों से मिलीभगत कर रेस्पों को फायदा देने के लिए चालाकी से गुप्त तरीको से मौके पर काबिज काश्त के विपरीत कार्यवाही की गई इतना ही नही खसरा संख्या 272 गै.मु. ढाणी 7 बिस्वा भूमि का भी सही अनुपात में सभी खसरान् में बहिस्सा बराबर नही किया गया, रकबा कम व अधिक खसरो में देने का हक व अधिकार तहसीलदार को नही था, फिर भी राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 53(1) में बने प्रावधानो को अनदेखा किया गया, इसलिए तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः मैरिट पर सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर न्याय किया जावे।

रेस्पॉडेन्ट पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि उक्त बंटवाडा मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार नही किया गया है, मौके की स्थिति के विपरीत किया गया है, इस कारण तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2020 को अपास्त किया जाना विधिसम्मत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पहले धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पॉडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाडे/विभाजन अनुसार मौके एवं भूमि की किस्म की ओर ध्यान दिए बिना ही उसमें बराबर हिस्से का नियमानुसार विभाजन नही किया गया तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई एवं न ही सहखातेदारान् के आपस में आने जाने के लिए उनकी ढाणियां एवं अपने हिस्से में आई भूमि में जाने के लिए रास्ते का ध्यान नही रखा गया तथा जो प्रस्तावित नक्शा संगलन किया गया उसके विपरीत बंटवाडा/विभाजन का आदेश पारित कर दिया गया, जो न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस् स्वीकार की जाकर तहसीलदार शेरगढ द्वारा पारित बंटवाडा आदेश दिनांक 03.11.2020 क्रमांक/भूअ./2020/62 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार शेरगढ विधिवत्, मौके अनुसार विभाजन/बंटवाडा किए जाने का आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।